

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
संख्या /2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादूनः दिनांकः 25 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव ,अब ,राज्यपाल ,उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 11 की उपधारा (1) सप्तित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 21(1904 का 1) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 530/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं- अर्थात् ;

1. उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 81 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित को किया जाएगा, अर्थात् -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82	अध्याय 9996	फीफा अंडर -17 विश्व कप 2017 के तहत आयोजित होने वाले आयोजनों में प्रवेश के अधिकार के माध्यम से सेवाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं".

2. यह अधिसूचना दिनांक 21 सितम्बर, 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

(राधा रत्नाली)
प्रमुख सचिव

सं0843/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तददिनांक ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3-विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन ।

4-अपर सचिव, वित्त-8, उत्तराखण्ड शासन ।

5-एन0आई0सी0

6-गार्ड फाईल हेतु ।

6713
25/10/2017

अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।
अपर आयुक्त-विभिन्न कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

आज्ञा से,
(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 843/ 2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 25 Oct 2017 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 843/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated: 25 Oct, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with section 21 of Uttar Pradesh General Clause Act, 1904 (1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following amendment in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 530/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017; namely:-

1. In the said notification, in the Table, after serial number 81 and the entries relating thereto, the following entry shall be inserted namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82	Chapter 9996	Services by way of right to admission to the events organised under FIFA Under-17 World Cup 2017.	Nil	Nil".

2. This notification shall come into force with effect from 21st day of September, 2017.


(Radha Raturi)
Principal Secretary

